

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.


Dated: 23/01/2014

NOTIFICATION

No. F. 8(36)/2010/DAM/MR/ 9335 . In partial modification of notification no. F. 8(36)/2010-DAM/MR/478 dated the 16th February, 2012 and notification no. F.8 (16)/2013/DAM/MR/8180 dated the 4th October, 2013 and in exercise of the powers conferred by the section 29 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that Sh. Rajinder Kumar Sharma and Sh. Vijender Tyagi, Chairman and Vice-Chairman respectively of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi shall cease to be the Chairman or Vice-Chairman, with immediate effect.

Further, in partial modification of notification no. F. 8(36)/2010-DAM/MR/478 dated 16th February, 2012 and in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 29 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi further directs that Sh. Rajinder Kumar Sharma, Member under the category "Representative of the Delhi Agricultural Marketing Board", of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi shall cease to be the member of the said committee, with immediate effect.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,


(RAMESH TIWARI)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(36)/2010/DAM/MR/ 9336-9350 Dated: 23/01/2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Principal Secretary (Development), Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
6. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
7. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

Rus
(RAMESH TIWARI)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


दिनांक: २३/०१/२०१५

अधिसूचना

सं० एफ 8(36)/2010/डीएएम/एमआर/१३३५ .- दिनांक 16 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ 8(36)/2010-डीएएम/एमआर/478 और दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ 8(16)/2010/डीएएम/एमआर/8180 का आंशिक आशोधन करते हुए और दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 07) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निदेश देते हैं कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा और श्री विजेन्द्र त्यागी क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली, तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे।

इसके अतिरिक्त दिनांक 16 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या एफ 8(36)/2010/डीएएम/एमआर/478 का आंशिक आशोधन एवं दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 29 के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा "दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि" की श्रेणी के अन्तर्गत सदस्य, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली, तत्काल प्रभाव से उक्त समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,


(रमेश तिवारी)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं० एफ 8(36)/2010/डीएएम/एमआर/ 9326-9350 दिनांक : 22/01/2014

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम् पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

रेश

(रमेश तिवारी)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार